HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12819/2026
CNR: RJHC020784752026 | URN: CRLMB / 23589U / 2026

Chandramohan S/o Shreephool, Aged About 28 Years, R/o Malarna Chod, Police Station Malarna Doongar, District Sawai Madhopur (Raj.) (Presently Confined At District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Prasad Jogi
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या **01/2026** आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति इंगित होने से उसे दूर कर अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है, जिस पर सुना गया।

इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **167/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी एवं डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध साइबर पोर्टल पर दो शिकायतें थीं जिनमे से एक शिकायत उसके शिकायतकर्ता द्वारा वापस ले ली गई है जबकि दूसरी शिकायत के शिकायतकर्ता ने बयान देने से इन्कार कर दिया है। धनराशि का कोई संव्यवहार होना दर्शित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 24.07.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उसके विरूद्ध पूर्व का जो आपराधिक प्रकरण है, उसी को देखकर यह मामला मिथ्या बना दिया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर चैट प्रारंभ करके साइबर ठगी की है। उसे खाते में दो बार के 14–14 हजार रूपये के संव्यवहार होना दर्शित है। उसके विरूद्ध पूर्व का भी एक मामला इसी प्रकृति का वर्ष 2025 का दर्ज हुआ है। वह आदतन अपराधी है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी एवं डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **चन्द्रमोहन पुत्र श्रीफूल** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक

लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

19/AJAY KUMAR SINGHAL